न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—91/2016/223 (2016/00091)

1. अजीज खां पुत्र छोटू खां, जाति मुसलमान, नि0 ग्राम रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 3.7.2015 अंतर्गत वाद संख्या 2/2015 .

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार .

निर्णय

दिनांकः—16.11.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.7.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चौसाला जमाबंदी खसरा नंबर 54 के वर्किंग जमाबंदी नंबर 546 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा में से 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादी/अपीलांट अजीज खां पुत्र छोटू खां जाति मुसलमान के नाम दिनांक 20.12.1975 को आवंटन किया गया था तथा आवंटन से वादी/अपीलांट अजीज खां का नाम वर्किंग जमाबंदी में अंकित किया गया तथा नियमानुसार वादी के नाम भूमि आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया गया तब से वादी विवादित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । वर्किंग खसरा नंबर 546 रकबा 21—15—00 बीघा के आधार जमाबंदी खसरा नंबर 802 रकबा 1.52 है0, 803 रकबा 0.80 है0 एवं 804 रकबा 1.20 है0 बने है जिसमें आधार जमाबंदी नंबर 802 रकबा 1.52 है0 वादी/अपीलांट को आवंटनशुदा है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हाल खसरा नंबर 802 रकबा 1.52 है0 को बंदोबस्त विभाग ने राजस्व रिकार्ड में गलत तरीक से सिवायचक दर्ज कर दिया । अतः वाद स्वीकार कर हाल खसरा नंबर 802 रकबा 1.52 है0 का अंकन आवंटन के अनुसार वादी/अपीलांट के नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज कर निर्णय व डिक्री दिनांक 3.7.2015 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी चौसाला जमाबंदी खसरा नंबर 454 कुल रकबा 21–15–00 बीघा में से 6–17–00 बीघा भूमि वादी/अपीलांट को दिनांक 20.12.1975 को आवंटित की गई थी तथा आवंटन दिनांक से आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । चौसला खसरा नंबर 454 के वर्किंग खसरा नंबर 546 रकबा 21–15–00 बीघा बने तथा वर्किंग खसरा नंबर 546 के आधार जमाबंदी खसरा नंबर 802 रका 1.52 है0, 803 रकबा 0.80 है0 एवं 804 रकबा 1. 20 है0 बने है जिनमें से खसरा नंबर 802 रकबा 1.52 है0 अपीलांट को आवंटित भूमि है किन्तु बंदोबस्त विभाग ने बिना किसी अधिकार एवं आदेशों के वर्किंग खसरा नंबर से आधार जमाबंदी बनाते समय अपीलांट को आवंटित भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया । बंदोबस्त विभाग का उक्त इंद्राज त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि वर्किंग खसरा नंबर 546/1 रकबा 6–17–00 बीघा जमाबंदी संवत् 2040से 2041 में वादी के नाम दर्ज है । बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियो/अधिकारियों को पूर्व इंद्राज को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के परिवर्तन का अधिकार नहीं था । बंदोबस्त विभाग द्वारा किया गया इंद्राज प्रारंभ से शून्य प्रभावी होने से निरस्त किये जाने योग्य था । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर वादी का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद में तनकियात कायम किये बिना वाद को कैम्प में निर्णित किया है जिसे भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा लोक अदालत कैम्प रामसर में बिना वादी को सुनवाई का अवसर दिये वाद खारिज किया है जिसकी जानकारी वादी को उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27.10.2015 संपर्क करने पर हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने निर्णय की प्रमाणित प्रत प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है । वर्किंग जमाबंदी में गैर कानूनी इंद्राज होने से बंदोबस्त विभाग ने विवादित भूमि सिवायचकदर्ज की है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवयकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट/वादी विवादित चौसाला भूमि खसरा नंबर 454 के वर्किंग

जमाबंदी खसरा नंबर 546 कुल रकबा 21–15–00 में से 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि का आवंटन होने का कथन किया है किन्तु इस संबंध में अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष आवंटन पट्टा पेश नहीं किया है । अपीलांट ने केवल मात्र आवंटन आदेश की पालना में पटवारी हल्का को सूचना दिये जाने के प्रपत्र की छाया प्रति पेश की है जो भारतीय साक्ष्य अधि0के तहत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । वाद के कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने की जिम्मेदारी स्वंय वादी की है जिसमें पूर्णतया असफल रहा है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 3.7.2015 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.7.2015 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 16.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर